PRESS INFORMATION BUREAU
पत्र सूचना कार्यालय
GOVERNMENT OF INDIA
भारत सरकार

Jansatta, Delhi
Wednesday, 2nd March 2011, Page: 6
Width: 15.71 cms Height: 17.15 cms, Ref: pmin.2011-03-02.41.31

मनमानी की दवा

नकली दवा बनाने वालों पर नकेल कसना पहले ही सरकार के लिए बड़ी चुनौती है। तिस पर नामी कंपनियों की मनमानी पर नजर रखना अलग सिरदर्द साबित हो रहा है। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि पिछले साल करीब डेढ़ सौ कंपनियों ने मूल्य निर्धारण के तहत आने वाली दवाओं को अधिक कीमत पर बेच कर ग्राहकों से सवा तेईस सौ करोड़ रुपए अतिरिक्त कमाए। अब सरकार उनसे वह पैसा वसूलने की कोशिश कर रही है। मगर इनमें से ज्यादातर कंपनियों ने अदालत की शरण ले रखी है, इसलिए उनके खिलाफ कड़े कदम उठाना मुश्किल बना हुआ है। दवा कंपनियों की मनमानी के ऐसे किस्से जब-तब उजागर होते रहते हैं। दवाओं में इस्तेमाल होने वाली वस्तुओं, उनके फार्मूले के बारे में जानकारी देने, विज्ञापनों में किए जाने वाले दावों आदि के मामले में वे ईमानदार नजर नहीं आतीं। सर्दी-जुकाम, खांसी, हल्के बुखार, दर्द आदि में काम आने वाली सामान्य दवाओं की कीमत भी दवा कंपनियां लागत से कई गुना अधिक रखती हैं। इस मामले में स्वास्थ्य मंत्रालय उन्हें कई बार चेतावनी भी दे चुका है। मगर उन पर इसका कोई असर पड़ता नहीं दिखता। घातक बीमारियों के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवाएं अपेक्षया महंगी होती हैं। इसलिए पिछले साल सरकार ने ऐसी कई दवाओं के उत्पाद शुल्क में भारी छूट दी थी। इस छूट का लाभ कंपनियों ने अपनी जेब में डाल लिया, उपभोक्ता को वे पुरानी दर पर ही दवाएं बेचती रहीं। करीब ढाई महीने पहले नियंत्रक एवं महा लेखा परीक्षक ने खुलासा किया कि कंपनियों के इस रवैए से जहां ग्राहकों के हिस्से करीब तैंतालीस करोड़ रुपए का नुकसान आया, वहीं राजस्व के रूप में सरकार को एक सौ तिरासी करोड़ रुपए का घाटा हुआ। फिलहाल बहत्तर थोक दवाएं मूल्य-नियंत्रण के दायरे में रखी गई हैं। इनसे हजारों दवाओं के फार्मूले तैयार किए जाते हैं। मूल्य नियंत्रण अधिनियम के अनुसार जिन दवाओं के फार्मूले में चिह्नित दवाओं का इस्तेमाल होता है, वे भी मूल्य-नियंत्रण के दायरे में आती हैं। मगर कंपनियां सरकार की आंख में धूल झोंक कर लोगों से बेजा कीमत वसूलती रहीं। यह तथ्य ऐसे समय उजागर हुआ है, जब केंद्र सरकार जीएसटी यानी वस्तु और सेवा कर प्रणाली लागू करने की तैयारी में है। देखना है, वह दवा कंपनियों पर किस तरह नकेल कस पाती है।

दवा कंपनियों के विक्रय-तंत्र की कारगुजारियां छिपी नहीं हैं। डॉक्टरों, निदान केंद्रों के संचालकों, अस्पतालों के अधिकारियों आदि को रिश्वत या महंगी वस्तुएं भेंट कर, विदेश यात्रा की सुविधाएं मुहैया करा कर कंपनियां अपनी बिक्री बढ़ाने की कोशिश करती हैं। यों दवाओं की कीमतों पर नजर रखने के लिए राष्ट्रीय दवा मूल्य नियामक प्राधिकरण है, मगर हैरानी की बात है कि उसकी नींद सीएजी के खुलासे के बाद ही खुल पाई। सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं के खस्ताहाल और निजी चिकित्सा सुविधाओं के दिनोंदिन महंगे होते जाने के कारण हर साल लाखों गरीब लोग इलाज के अभाव में दम तोड़ देते हैं। दूसरी ओर बाजार में भी जो लाभ यानी उत्पाद शुल्क में छूट का फायदा ग्राहकों को मिल सकता था, नहीं मिल पा रहा है। दवा कंपनियों, विक्रेताओं और कुछ चिकित्सकों के बीच मिलीभगत के चलते दवा कारोबार में पारदर्शिता नहीं रह गई है। जब तक दवाओं के कारोबार पर नजर रखने वाले तंत्र को अधिक मुस्तैद और जवाबदेह नहीं बनाया जाएगा, दवा उद्योग की मनमानियों पर अंकुश लगाना मुश्किल बना रहेगा।